(TO BE PUBLISHED IN PART-IV OF DELHI GAZETTE EXTRA ORDINARY) GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI (DEVELOPMENT DEPARTMENT) DIRECTORATE OF AGRICULTURAL MARKETING 49, SHAM NATH MARG, DELHI – 110054.

Dated: / 8 70 > > > 1

NOTIFICATION

No. F. 8(03)/2021/DAM/MR/2 173 In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 36 of the Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation) Act, 1998 (Delhi Act No. 7 of 1999), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby nominates the following persons to be the members of the Agricultural Produce Marketing Committee, Keshopur, Delhi, namely:-

THREE NOMINATED AGRICULTURISTS

 Sh. Daya Krishan Aggarwal S-5, 2nd Floor, Gokuldham Housing Society, Om Vihar Phase-1, Uttam Nagar-110059. Member

Sh. Pawan Tyagi Sikar Pur Village, New Delhi-110089. Member

3. Sh. Ravindra Chaudhary B-2/22-A, Yamuna Vihar, Delhi-110053.

Member

TWO ELECTED TRADERS AND COMMISSION AGENTS

 Sh. Ajay Pal WZ-159(A), Tihar Village, New Delhi-110018. Member

 Sh. Jai Prakash Asnani S-2/43A, Old Mahavir Nagar, Tilak Nagar, West Delhi-110018. Member



ONE REPRESENTATIVE OF LOCAL AUTHORITY

1. Ms. Sarita Jindal, Municipal Councilor Ward No. 020-S (Vikas Puri) C-165, Ground Floor, Vikas Puri, New Delhi-110018.

Member

ONE NOMINATED MEMBER OF DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY

1. Sh. Jarnail Singh, MLA 15/5A, Tilak Nagar, Delhi-110018. Member

TWO NOMINATED MEMBERS TO REPRESENT THE INTEREST OF CONSUMER

Sh. Harsh Julka C-1, New Krishna Park, 1st Floor Vikas Puri, New Delhi-110018.

Member

2. Sh. Harjeet Singh WZ-71/A, Gali No. 1, Guru Nanak Nagar, Tilak Nagar, New Delhi-110018.

Member

The Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby further directs that the Members of the said Marketing Committee shall take charge of their office with effect from the date of the publication of their names in the official Gazette. They shall hold office for a term of three years as provided under section 41 of the said Act.

> By order and in the name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

> > (MADHUP VYAS)

SECRETARY (DEVELOPMENT) GOVT, OF NCT OF DELHI No. F 8(03)/2021/DAM/MR/ 2114-2128

Dated: 18:10:21

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

- 1 The Secretary, Ministry of Agriculture, Govt. of India, New Delhi.
- The Agricultural Marketing Advisor to the Govt. of India, Dte. of Marketing & Inspection, NH-IV, Faridabad (Haryana).
- 3 The Principal Secretary to Lt. Governor, Govt. of NCT of Delhi.
- The Principal Secretary, Law, Justice & Legislative Affairs Department, Govt. of NCT of Delhi.
- 5 The Secretary to Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi.
- 6 The Secretary to Minister (Development), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
- 7 The Staff Officer to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
- 8 The Development Commissioner, Govt. of NCT of Delhi, 5/9 Under Hill Road, Delhi
- 9 The Chairman, Vice-Chairman/All Members of Delhi Agricultural Marketing Board, New Delhi through Secretary, Delhi Agricultural Marketing Board.
- 10 The Director, Deptt. of Information & Publicity, Govt. of NCT of Delhi.
- 11 The Deputy Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request that the notification may be published in Delhi Gazette (Extra Ordinary) Part-IV and copies of the same may be arranged for this office.
- 12 The Secretary, APMC (MNI), Azadpur, Narela, Najafgarh, Keshopur, Shahdara (Fruit & Vegetable Market), Gazipur Delhi, Fish, Poultry & Egg Marketing Committee, Gazipur, Delhi and Flower Marketing Committee, IFC, Gazipur, Delhi.
- 13 The Hindi Officer, Language Department, Govt. of NCT of Delhi

14 Guard file.

mely

(MADHUP VYAS) SECRETARY (DEVELOPMENT) GOVT. OF NCT OF DELHI

(दिल्ली असाधारण गजट के भाग—4 में प्रकाशित किए जाने के लिए) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (विकास विभाग) कृषि विपणन निदेशालय 49 शामनाथ मार्ग, पुराना सचिवालय, दिल्ली—110054

दिनांकः *। ४ । 10 - 21*

अधिसूचना

सं एफ. 8(03) / 2021 / डी०ए०एम० / एम०आर० / 2 / 1 3 दिल्ली कृषि उपज विपणन (विनियमन) अधिनियम, 1998 (दिल्ली अधिनियम संख्या 7, 1999) की धारा 35 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उप-राज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एतद् द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को कृषि उपज विपणन समिति, केशोपूर, दिल्ली के सदस्य मनोनीत करते हैं:-

तीन मनोनित कृषक

1. श्री दया कृष्ण अग्रवाल : सदस्य एस—5, द्वितीय तल, गोकुलधाम हाऊसिंह सोसायटी, ओम विहार फेस—1, उत्तम नगर—110059.

2. श्री पवन त्यागी : सदस्य शिकार पुर गाँव, नई दिल्ली—110089.

3. श्री रविन्द्र चौधरी : सदस्य all - 2/22 - v, यमुना विहार, दिल्ली-110053.

दो निर्वाचित व्यापारी और आढ़ती

1 श्री अजय पाल : सदस्य डब्लूजैड 159(ए), तिहाड़ गांव, नई दिल्ली—110018.

श्री जय प्रकाश असनानी : सदस्य एस-2/43ए, पुराना महावीर नगर, तिलक नगर,
 पश्चिमी दिल्ली-110018.



एक प्रतिनिधी स्थानीय प्राधिकरण

1 श्रीमित सरिता जिन्दल, निगम पार्षद वार्ड नं० 020—एस (विकास पुरी) सी—165, भू तल, विकास पुरी, नई दिल्ली—110018.

सदस्य

एक मनोनित सदस्य दिल्ली विधानसमा

श्री जरनेल सिंह, विधायक
 15/5ए, तिलक नगर, दिल्ली–110018.

सदस्य

दो मनोनित सदस्य उपभोक्ता हितकर वर्ग

 श्री हर्ष जुलका
 सी-1, नया कृष्णा पार्क, प्रथम तल विकास पुरी, नई दिल्ली-110018.

सदस्य

2 श्री हरजीत सिंह डब्लुजेड-71/ए, गली नं0 1, गुरू नानक नगर, तिलक नगर, नई दिल्ली-110018.

सदस्य

इसके अतिरिक्त, उप-राज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, उपरोक्त मंडी समिति के सदस्यों को, इनके नाम सरकारी गजट में प्रकाशित होने की तिथि से कार्यभार संभालने का निर्देश देते है। जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 41 में दिया गया है, इन सदस्यों का कार्यकाल तीन साल का होगा।

उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के नाम से तथा उनके आदेश पर

Ing"

(मघुप व्यास) सचिव (विकास) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार सं एफ. 8(03) / 2021 / डी०ए०एम० / एम०आर० / 🙏 / 🗓 4 — 21 अ 🕏

दिनांकः 18.10.2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

- 1 सचिव, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 2 कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार, विपणन और निरीक्षण निदेशालय, एन.एच.४, फरीदाबाद (हरियाणा)।
- 3 प्रधान सचिव, उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली।
- 4 प्रधान सचिव, विधि, न्याय एवं विधायी विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली।
- 5 सचिव, मुख्य मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली।
- 6 सचिव, मंत्री (विकास), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 7 स्टाफ अधिकारी, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 8 विकास आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, 5/9, अण्डर हिल रोड, दिल्ली।
- 9 अध्यक्ष, उपाध्यक्ष / सभी सदस्य, दिल्ली कृषि विपणन परिषद, सचिव, दिल्ली कृषि विपणन परिषद के माध्यम से।
- 10 निदेशक, सूचना एवम् प्रचार निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली।
- 11 उप—सचिव (सा.प्र.वि.), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार इस अनुरोध के साथ कि अधिसूचना दिल्ली राजपत्र (असाधारण) भाग–4 में प्रकाशित की जाए और इस कार्यालय के लिये इसकी प्रति उपलब्ध कराई जाए।
- 12 सचिव, कृषि उपज विपणन समिति (राष्ट्रीय महत्व की मंडी), आजादपुर, नरेला, नजफगढ़, केशोपुर और शाहदरा (फल व सब्जी मण्डी), गाजीपुर, दिल्ली, मछली, मुर्गा एवम् अण्डा विपणन समिति, गाजीपुर, दिल्ली, एवम पुष्प विपणन समिति, आई.एफ.सी., गाजीपुर, दिल्ली।
- 13 हिन्दी अधिकारी, भाषा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली।
- 14 गार्ड फाईल।

FIUST

(मधुप व्यास) सचिव (विकास) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार